

आदेश व इजलासा अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 153/2020 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)
भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आरित वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, वैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4,
जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह,
2. श्रीमती ज्योति कंवर पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह,

पता 1: प्लॉट नं. 85, पार्थ सिटी, माववा, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा,

पता 2: 265, आर्य नगर, मुरलीपुरा, वार्ड नं. 06, माताजी के मंदिर के पास, जयपुर एवं

पता 3: ए-154, विजय नगर, दौलतपुरा रोड, बैनाड़, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपरिथत:-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 03.09.2020



मजिस्ट्रेट
(र) जयपुर


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.06.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो विला नं. 85, पार्थ सिटी, कालवाड़ रोड, माववा, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गगज है को बन्धक कर होम लोन में राशि 50,00,000/-रुपये, एसबीआई होम लोन सुरक्षा में राशि 83,000/-रुपये व एसबीआई होम टॉप-अप लोन में राशि 20,00,000/-रुपये इस प्रकार कुल राशि 70,83,000/-की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक

रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को होम लोन, एसबीआई होम लोन सुरक्षा व एसबीआई होम टॉप-अप लोन में कुल 70,83,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी हैं। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 75,46,046/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.01.2020 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह के नाम प्राथमिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो विला नं. 85, पार्थ सिटी, कालवाड रोड, माववा, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गगज है का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

